# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

**शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ**

संख्या 300–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 18 अप्रैल, 2009

**विषयः– वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमन्यता तथा पदोन्नति पर मूल नियम–२२'बी' के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि के लिए विकल्प के सम्बन्ध में।**

## कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्मिकों हेतु दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी किए जाने तथा उनके वेतन निर्धारण किए जाने सम्बन्धी आदेश संख्या 175–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे०प्र०/08 दि० 19 फरवरी, 2009 को जारी किया गया तद्नुसार समस्त कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 01 जुलाई रखी गई है। उक्त आदेश के प्रस्तर–8(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

| पूर्व आदेशित व्यवस्था | प्रतिस्थापित व्यवस्था |
|---|---|
| 8 (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगें। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक होगी। | 8 (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगें। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी गत वेतन वृद्धि दि० 02.01.2005 से दिनांक 01.01.2006 के मध्य अर्जित की है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी।<br>ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को अर्जित होती हो उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जाएगा, ऐसे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी। |

क्रमशः – 2

# पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण

पुनरीक्षित वेतन संरचना की व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप किसी भी कार्मिक की पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता होने पर सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय नियम – 23 (1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह पदोन्नति/समयबद्ध वेतनमान की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकता है।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(1) यदि सम्बन्धित कार्मिक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को दो वेतन वृद्धियां, एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति की तिथि के पूर्व का मूल वेतन लिया जाएगा। **उदाहरणस्वरूप**, यदि पदोन्नति के पूर्व तिथि को मूल वेतन रू0 100/– था तो प्रथम वेतन वृद्धि रू0 100/– पर तथा द्वितीय वेतन वृद्धि की गणना रू0 103/– पर की जाएगी।

(2) यदि कोई कार्मिक पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो उस कार्मिक का वेतन आदेश संख्या 175 – काविनी एवं वे0प्र0 – 29 / पाकालि / 2009 – 17 – काविनी एवं वे0प्र0 / 08 दिनांक 19 फरवरी, 2009 के प्रस्तर – 11 (1) में निहित प्रकियानुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक हुई है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। **उदाहरण –** किसी कार्मिक की पदोन्नति यदि 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी 2007 तक हुई है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2007 को देय होगी। यदि पदोन्नति किसी वर्ष में 02 जनवरी, से 30 जून तक हुई है तो उसे अगले वेतन वृद्धि अगले वर्ष की 01 जुलाई को देय होगी। **उदारणस्वरूप** किसी कार्मिक की पदोन्नति

कमशः – 3

यदि 02 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 तक हुई है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी।

उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या 175–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–17–काविनी एवं वे०प्र०/08 दि० 19 फरवरी, 2009 में उक्त व्यवस्था को समायोजित समझा जाए तथा इसकी शेष व्यवस्थायें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

**अध्यक्ष**

संख्या : 300 (1)–काविनी एवं वे०प्र०–29/09, तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1- मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2- सचिव, (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- सचिव (वित्त), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
9- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1एवं 2), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
12- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
13- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

क्रमशः – 4

**14-** समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

**15-** समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

**16-** समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

**17-** लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

**18-** समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

**19-** अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 – 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

**20-** कम्पनी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को बैठक संख्या सतत्तर (55)/09 के सन्दर्भ में।

**आज्ञा से,**

18/4/09

**(पी० एन० सिंह)**
**अपर सचिव**